

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ११२ /2019 दिनांक ०३.05.2019

श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही को दिनांक 13.05.2019 से 18.05.2019 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.05.2019 से 12.05.2019 एवं 19.05.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती गौड की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/52/2002/५०००

दिनांक : 03 .05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही को उनके पत्रांक 1417 दिनांक 09.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही ।

  
03.5.2019  
सहायक रजिस्ट्रार